


## त एक्ट पर एससी का निर्णय कोर्ट के स्तर पर हारा गया था और क्यों न हुआ हो, दहेज विरोधी कानून सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बरी कर का दुरुपयोग कर दिया जाता है। ऐसे



इस तरह से देखा जाये तो 361 दहेज के मामलों में 293 मामले गलत पाए गए (श्रीमती मेनका गांधी जी के बयान के आधार पर)। जब से बलात्कार और



महिला उत्पीडन के सख्त कानून बने हैं लोग इतने डरे हैं कि अकेले में महिला से मिलते तक नहीं हैं। एक पूर्व मंत्री ने भी कहा कि महिला से अकेले में मिलने में डर लगता है। निःसंदेह महिलाओं का शोषण होता है और जो भी दोषी पाया जाये सख्त सजा दी जानी चाहिए। बलात्कार एवं महिला उत्पीडन के कानून के दुरुपयोग से व्यक्ति को न केवल कानूनी दंड मिलता है बल्कि सामाजिक भी। एक बार कोई इस मामले में फंस जाये तो कुछ घंटे और दिन में समाज और मीडिया दण्डित कर देती है चाहे बाद में अदालत से छूट ही जाये कि जानबूझकर फंसाया गया हो। जब से ये कड़े कानून आये हैं तब से महिलाओं का रोजगार निजी क्षेत्र में सिकुड़ गया है, अगर सही

मूल यांकन किया जाये तो जितनी इनकी रक्षा नही हुई उससे ज्यादा उनकी आर्थिक क्षति हुई है क्योंकि रोजगार और लेन-देन करने से लोग कतराने लगे और आर्थिक निर्भरता बढ़ी। हमारे यहाँ शिक्षा मूलतः अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए दी जाती है। सरकार भी चाहती है कि बेटियां पढ़े लेकिन जब रोजगार ही नही मिलेगा तो शिक्षा ग्रहण करने की स्पर्धा नहीं रह जाएगी। हजारों वर्षों से जो दलित आदिवासी बिलकुल शिक्षित नहीं थे यह आरक्षण के जरिये नौकरी का ही प्रोत्साहन था कि इतने कम समय में भले ही न आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त की हो। लेकिन फिर भी काफी शिक्षा का प्रचार–प्रसार हो गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में दलित उत्पीडन में 66 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान रोजाना 6 दलित महिलाओं से दुष्कर्म और हर 1 5 मिनट पर अपराधिक घटनाएं हुई। मध्यप्रदेश दलित उत्पीडन में सबसे आगे पाया गया। जहाँ तक इस कानून के तहत सजा होने की बात है तो 2 से लेकर के 6 प्रतिशत तक के मामलों में

ही सफलता मिली क्योंकि एफआईआर दर्ज होने से मुकदमे की बहस तक में समझौता होता रहता है इसलिए कम ही मामले में राजा मिल पाती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दुरुपयोग की स्थिति में जब यह हाल है तब तो इस निर्णय के बाद इस कानून का लगभग महत्त्व समाप्त हो जायेगा। संविधान के अनुसार कानून बनाने का अधिकार संसद को है और न्यायपालिका का कानून व्याख्यान लेकिन अब तो न्यायपालिका संसद से कहीं ज्यादा कानून बनाने लगी है। इस निर्णय में यह भी दलील दी गयी है कि ऐसे मामले में सजा कम हुई है तो इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका दुरुपयोग हो रहा है जब कि दूसरा भी निष्कर्ष निकाल सकते थे कि इस कानून का उपयोग व्यवस्था की कमियों की वजह से नहीं हो पा रहा है। यही है अपना-अपना नजरिया देखेने का। केंद्र सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि इस निर्णय में बदलाव लाया जाये और कानून संसद का है तो इसमें अधिकार भी उसी का है बदलाव करने का। आवश्यकता पड़े तो संसद फिर से इस कानून को पारित करे।

\*\*\*



जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम १९८९ के ऊपर एक ऐतिहासिक निर्णय डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन के मामले में दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है और न ही गिरफ्तारी। अदालत ने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस कानून के तहत शिकायत आती है तो नियुक्त करने वाले अथॉरिटी से मंजूरी लेकर ही गिरफ्तारी की जाएगी। अगर किसी आम आदमी के खिलाफ शिकायत होती है तो एसएसपी से मंजूरी लेना पड़ेगा। गिरफ्तारी के लिए लिखित आदेश हो और कारण भी बताये जायें। मजिस्ट्रेट तभी आरोपी की हिरासत बढ़ाएगा जब लिखित वजह हो और यह भी कहा गया कि अग्रिम जमानत दी जा सकती है। संसद ने इस कानून को विशेष दर्जा दिया है लेकिन अब इसे उस श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि जाति पूर्वाग्रहित से प्रोत है। यह मुकदमा हाई



दिया। किसी भी कानून का दुरूपयोग

नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं

होना चाहिए कि उस कानून का उपयोग

ही ना हो सके। वरिष्ठ अधिकारी शायद

ही लिखित रूप से देंगे कि उनके

जूनियर कर्मी को गिरफ्तार किया

जाये। मान लीजिये कि उच्च अधिकारी

भी जाति के आधार पर पूर्वाग्राहित है

या उस कर्मी से उसके मधुर सम्बन्ध हैं

तो क्यों इजाजत देगा। सम्बंधित कर्मी

रिश्वत भी देकर ठीक–ठाक कर सकता

है। जहाँ तक आम जनता की बात है

उनके मामले में एसएसपी से इजाजत

लेनी पड़ेगी। यदि एसएसपी उसी जाति

का निकला या वह भी पूर्वाग्राहित है तो

क्यों इजाजत देगा। राजनैतिक दबाव

आने का पूरा अवसर है कि एसएसपी

इजाजत न दे। इस कानून को इतना

कमजोर कर दिया कि डीएसपी के स्तर

पर प्रारंभिक जांच होने पर ही एफ आई

आर दर्ज किया जा सकता है। साधारण

से साधारण मामलों में तो सीधे एफ

आई आर दर्ज हो जाती है और इस

दलित एक्ट को उतना भी महत्त्व नही

अत्याचार निवारण अधिनियम का ही

क्या अनुसूचित जाति/जनजाति

दिया ।



😰 AlParisangh 💿 AlParisangh 🕒 9899766443 🍽 parisangh 1997 @gmail.com 🔚 All India Parisangh 🎡 www.aiparisangh.com

# बजट सल (फरवरी से अप्रैल 2018) के दौरान मननीय डॉ. उदित राज द्वारा अजा/जजा वर्ग से सम्बंधित पूछे गए अतारांकित प्रश्न और सम्बंधित मंत्री द्वारा दिए गए उनके जवाब

## 05 मार्च, 2018 आरक्षण को कार्यान्वित करना

डॉ. उदित राज

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्याल अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कार्यालय ज्ञापन (ओएम), दिनांक 10 अगस्त, 2010 के अनुसार 2.7.1997 से अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस विलंब के लिए उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाई की गई है;

(घ) आरक्षण रोस्टर को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ड) क्या यूजीसी में संपर्क अधिकारी अजा/जजा समुदाय से संबंधित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

## उत्तर

# मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्य पाल सिंह)

(क) से (घ) : विश्वविद्याल अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा है कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति(अजा)/ अनुसूचित जनजाति(अजजा) आरक्षण नीति डीओपीटी के दिनांक 10 अगस्त,2010 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिनांक 2.7.1997 के कार्यान्वित है, जब से पद आधारित आरक्षण लागू किया गया तब से यह डीओपीटी के दिनांक 30 सितंबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापवन द्वारा निलंबन में रखा गया है। वर्तमान में यह मामला शीर्ष न्यायालय में लंबित है।

(ड) यूजीसी द्वारा यह सूचित किया गया है कि उसने एक संपर्क अधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग से और एक सहायक संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति वर्ग से नियुक्त पकिया है।

# दिनांक 13 मार्च, 2018, एनसीएससी की सिफारिशें डॉ. उदित राज

#### क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) से पचासीवें संवधिान संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुपालन में जारी डीओपीटी के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में, दूरसांचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को जारी उसकी सिफारिशों की अवहेलना के संबंध में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राज्य तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को एनसीएससी द्वारा जारी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त की अवज्ञा/उपेक्षा करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं से वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार का संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करते हुए एनसीएससी को अनुसूचित जातियों के हित में जारी सरकारी आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाई करने की शक्ति प्रदान करने का विचार है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

#### उत्तर

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, (श्री विजय साम्पला) (क) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को गलत ढंग से वरिष्ठता निर्धारित करने और 85वां संशोधन अधिनियम,2001 को कार्यान्वित न करने के बारे में दूरसांचार विभाग (डीओटी) के अंतर्गत एमटीएनएल में कार्यरत अनुसूचित जाति के कुछेक अधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। आयोग ने एमटीएनएल और दूरसंचार विभाग, दोनों से इस मामले में सुनवाई की थी। एनसीएससी ने दिनांक 12.10.2015 की अपनी अंतिम सुनवाई में दूरसंचार विभाग को डीओपीटी के दिशा–निर्देशों के अनुसार इस मामले की पुनः जांच करने और उसे 30 दिन की अवधि के भीतर कृत कार्यवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी थी।

(ख) ः दूरसंचार विभाग ने इस मामले की पुनः जांच की है और दिनांक 16.02.2017 के अपने पत्र (अनुबंध– 1) के अनुसार एमटीएनएल के याचिकाकर्त्ताओं को सही वरिष्ठता देने के बारे में निर्णय लिया है।

 (ग) : एनसीसएसी द्वारा राज्यों और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को की गई सिफारिशें बाध्य स्वरूप की नहीं हैं।

(घ) ः जी, नहीं।

(इ) : विधि कार्य विभाग की यह राय है कि एनसीएससी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य न्यायपालिका के अर्हताप्राप्त सदस्य नहीं हैं, निश्चित तौर पर वे न्यायाधीश के रूप में कार्य करते समय विधि न्यायशास्त्र का प्रयोग करने में असमर्थ होंगे और न ही उनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पात्र होना अपेक्षित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सभी अनुसूचित जातियों के लिए प्रयोजनार्थ वर्तमान संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

# दिनांक २१ मार्च, २०१८ एमटीएनएल अविकाररयों की वरिष्ठता बहाल करना डॉ. उदित राज

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को लिखा है कि अनुसूचित जाति (एससी) के एमटीएनएल अकिकाररयों की प्रोन्नति पर वरिष्ठता बहाल की जाए; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रकतिक्रिया क्या है;
(ग) क्या पूर्व में दूरसंचार अभियांत्रिकी सेवाओं (टीईएस) समूह 'ख' पद पदोन्नत अनुसूचित जाति वर्ग के कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों (जेटीओ) की सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद में पदोन्नत हुए उनके कनिष्ठों की तुलना में संशोधित वरिष्ठता सूची में उनकी परिणामी वरिष्ठता को बरकरार रखा गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है; और

(ड) डीओपीटी के निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है ?

#### उत्तर

# संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रमार) और रेल राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा)

(क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अयोग (एनसीएससी) ने प्रोन्नति पर वरिष्ठता को फिर से बहाल करने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के कर्मचारियों की वरिष्ठता के मुद्दों पर विगत दो वर्षो में दूरसंचार विभाग (डीओटी) को एक मामला भेजा है। दूरसंचार विभाग ने उक्त मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दो बार की गई कार्यवाई संबंधी रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत की है।

(ग) और (घ) एमरीएनएल के पदोन्नति, वरिष्ठता आदि जैसे कार्मिक और स्थापना मामले एमरीएनएल के क्षेत्रधिकार में आते है तथा ऐसे मामलों में दूरसंचार विभाग की कोई भूमिका नहीं है। एमरीएनएल के आमेलित दूरसंचार इंजीनियरी सेवा समूह ख के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची उनके आमेलन के समय एमरीएनएल को प्रदान कर दी गई थी। एमरीएनएल ने पुष्ठे की है कि अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित किसी कर्मचारी को अगले ग्रेड में पदोन्नति प्रदान करते समय उस कर्मचारी की परिणामी वरिष्ठता को उनसे बाद में पदोन्नत किए गए सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों से ऊपर रखा जाता है।

(5) दूरसंचार विभाग द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एण्ड टी) के अनुदेशों का हमेशा अक्षरशः अनुपालन किया जाता है। न्यायालय के किसी निर्णय तथा उसके कार्यान्वयन के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों से भिन्न होने के मामले में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सलाह ली जाती है।

## दिनांक २७ मार्च, २०१८, वैकल्पिक भूमि डॉ. उदित राज

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सराकर के भूमि और आवासन विभाग ने, गृह मंत्रालय के आदेश संख्या–37/16/60–दिल्ली (1) दिनांक 02/05/1961 जिसके द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से सिफारिश की गई थी कि उन किसानों को मुआवजा दिया जाए जिनकी पूरी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी, का अनुपालन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जय सिंह तोमर बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.2011 के आदेशों के अंतर्गत किसानों को आबंटित किए गए वैकल्पिक भूखंड वापस जब्त कर लिए गए थे;

(ग) क्या उच्चतम न्यायलय के दिशा–निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक भूखंडो के आबंटन हेतु पात्रता मानदंड तैयार किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यदि पीड़ित पक्ष के पास उसी गाँव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी समिति के भाग के रूप में भूमि जोत है तौ वैकल्पिक भूमि के आबंटन हेतु आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

#### उत्तर

# आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि वह अर्जित की गई भूमि के बदले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को भारत सराकर, गृह मंत्रालय के दिनांक 2.5.1961 के आदेश सं. एफ37/16/60 दिल्ली (1) द्वारा अनुमोदित नीति अर्थात दिल्ली मे वृहद पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण, विकास और निपटान, 1961 के अनुसार आवेदकों के लिए वैकल्पिक भूखण्ड की सिफारिश करता है।

(ख) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने बताया है कि जयसिंह तोमर नामक कोई भी ऐसा मामला नहीं पाया गाया है। तथापि, डीडीए बनाम जय सिंह कॅंवर–नामक सिविल अपील सं. 8289/2010 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14.09.2011 के निर्णय द्वारा नीति की व्याख्या की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने यह भी सूचित किया है कि इस निर्णय के अनुसरण में, पूर्व में संस्तुत भूखण्ड की जब्ती के लिए डीडीए को कोई भी पत्र नहीं भेजा गया था।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि डीडीए एवं अन्य बनाम जय सिंह कॅंवर शीर्षक वाली सिविल अपील सं.8289/2010 के मामले में दिनांक 14.09.2011 के निर्णय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीति की निम्नानुसार व्याख्या की है; स्कीम का उद्देश्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि सम्पूर्ण रूप से जब्त कर ली जाती है और उसके पास कोई भी मकान अथवा भूखण्ड नहीं रह जाता, तब उसे भूखण्ड आवंटित किया जाना चाहिए। अतः स्कीम में यह प्रावधान किया गया है कि केवल वह व्यक्ति, जिसके पास कोई मकान/ रिहाशी भूखण्ड/प्लैट नहीं है, आवेदन करने का पात्र होगा। जीएनसीटीडी के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग के यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त निर्णय सुनाए जाने के पश्चात् वह इस निर्णय को अनुपालन कर रहा है।

(घ) जीएनसीटीडी के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने बताया है कि यदि पीड़ित पक्ष के पास उसी गांव में अथवा सहकारी आवास सोसाईटी के भाग के रूप में व्यक्तिगत भूमि जोत है तो भूमि के

#### पृष्ठ २ का बजट सल (फरवरी से अप्रैल 2018) के दौरान मननीय डॉ. उदित राज द्वारा

आवंटन के लिए आवेदनों को निरस्त कर दिया जाता है।

(इ): जीएनसीटीडी के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने बताया है कि आगे और कार्यवाई करना अपेक्षित नहीं हैं।

#### दिनांक 28 मार्च, 2018 अनुमाग अधिकारी और आश्लिपिक की परीक्षा डॉ. उदित राज

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने एक निर्णय में डीओपीटी के दिनांक 22.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन को अवैध घोषित किया है और अनुभाग अधिकारी, (एसओ)/आशुलिपिक ग्रेड बी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा–1996 में अर्हतांक/मानकों के मूल्यांकन में छूट देकर, सभी उत्तरवर्ती लाभों के साथ, इस परीक्षा के परिणामों में संशोधन करने के लिए सरकार को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है; और (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

#### उत्तर

## कार्मिक, लोक शिकायत तया पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तया प्रधानमंती कार्यालय में राज्य मंती (डॉ. जितेंन्द्र सिंह)

#### (क) जी, हां

(ख) इंदिरा साहनी बनाम यूओआई मामले में दिए गए निर्णय के साथ पठित एस. विनोद कुमार बनाम यूओआई के मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्णय के अनुसरण में स्थापना (आरक्षण) डीओपीटी ने दिनांक 22.07.1997 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96-स्थापना (आर) द्वारा दिनांक 23.12.1970 और 21.01.1997 के अपने कार्यालय ज्ञापनों में समाविष्ट अनुदेशों को उस सीमा तक वापिस ले लिया था जिस सीमा तक इनमें पदोन्नति के लिए विभागीय अर्हक/प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कम अर्हक अंको का प्रावधान किया था। इसके पश्चात संविधान (82वां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसरण में इन प्रावधानों को फिर से बहाल किया गया था। तथापि, वर्ष 1996 से 1999 तक के लिए अनुभाग अधिकारी/स्टैनों सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के लिए अधिसूचित नियमावली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कम अर्हक अंको/मुल्याकंन स्तर के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ने 1996 से 1999 तक के वर्षो के लिए अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी।

2. इससे व्यथित हो कर, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कुछ उम्मीदवार, जो श्रेणी–। (सीएसएस के अनुभाग अधिकारी) के तहत एलडीसीई, 1996 में शामिल हुए थे 1998 से मुकदमेबाजी शुरू कर दी और मामला शीर्ष न्यायलय तक पहुंचा था।

3. माननीय उच्चतम न्यायायल ने 2004 की सिविल अपील संख्या 6046-6047 में दिनांक 15.07.2014 के अपने निर्णय द्वारा निम्नानुसार आदेश दिया था।

1.1 इसके फलस्वरूप सिविल अपीलों की अनुमति दी गई है। आदेश को निरस्तर कर दिया गया। 1997 के कार्यालय ज्ञापन को अवैध घोषित किया गया है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ताओं को आरक्षण का प्रावधान करते हुए और सभी परिणामी राहत, यदि अभी तक प्रदान नहीं किया गया है तो, देते हुए अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिकों (ग्रेड–ख/ग्रेड–।) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1996 में परिणामों को संशोधित करें.....

4. उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एसओ/स्टैनो (ग्रेड-ख/ग्रेड-।) एलडीसीई, 1996 के परिणामों को संशोधित किया और संशोधित परिणामों के अनुसार अपलीलकर्ताओं, जिन्हें सफल घोषित किया गया था को श्रेणी-। (अनुभाग अधिकारी के ग्रेड) के तहत परीक्षा कोर्ट के विपरीत अनुभाग अधिकारी चयन सूची–1996 में शामिल किया गया था। बाद में, यह लाभ इसी प्रकार की स्थिति वाले ऐसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को भी दिया गया था जिन्हें एसओ/स्टैनो (ग्रेड–ख/ग्रेड–।) एलडीसीई, 1996 के संशोधित परिणामों में उत्तीर्ण घोषित किया गया था।

5. इस संबंध में, इस विभाग द्वारा परिणामी लाभ, उनके एसओ चयन सूची 1996 में शामिल होने पर एसओ ग्रेड में इन अधिकारियों के वेतन के पुनः निर्धारण के लिए आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। 1996 की अनुभाग अधिकारी चयन सूची में उनको शामिल किए जाने के पश्चात, उनके ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी की स्थिती के संदर्भ में उनकी वरिष्ठता के क्रम में उन्हें उपयुक्त यूएसएसएल (सीएसएस के अवर सचिव ग्रेड) में अनंतिम तौर पर अंतर्वेशित किया गया था। इसके पश्चात अवर सचिव ग्रेड में वेतन निर्धारण लाभ भी प्रदान कर दिया गया है। (ग) प्रश्न नहीं उठता।

# राष्ट्रपति ने पूछा - ओबीसी, एससी, एसटी, महिला जज इतने कम क्यो? - अदालतों में जातीय भेदमाव

17 हजार जजों में सिर्फ 4700 महिलाएं, यानी चार जज में एक

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायपालिका में महिला, एससी, एसटी और ओबीसी जजों की कम संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 'लोअर कोर्ट, हाईकोट और सुप्रीम

कोर्ट में कुल 17 हजार जज हैं। इनमें में बोल रहे थे। महिलाएं सिर्फ ४७०० हैं। हालात सुधारने की दिशा में फौरन कदम उठाने नियुक्तियों में गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की भी सलाह दी। राष्ट्रपति नेशनल लॉ डे पर आयोजित सम्मेलन

21 हाईकोर्ट में 850 जज,

एससी/एसटी के सिर्फ 14 की सलाह दी। हालांकि उन्होंने एससी–एसटी कमीशन के मुताबिक 2011 में देश के 21 हाईकोर्ट में 850 जजों में सिर्फ 24 जज एससी/एसटी थे। 14 हाईकोर्ट में एक भी एससी/एसटी जज नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 31 जजों में से एक भी एससी/एसटी के नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उत्तराखंड के जिला जज कांता प्रसाद की कोर्ट में आरक्षण की अर्जी खारिज की थी। कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट समानता के सिद्धांत पर काम करते हैं।

https://www.facebook.co m/photo.php?fbid=14208033 61352035&set=a.169685676 463816.33801.100002671538 990&type=3&theater&ifg=1

#### 시미 4**6**4 I TILI kig de th 2 db तुम्हारा काम नही हो जाता है तब तक दिल्ली, मार्च 30

उत्तर–पश्चिम दिल्ली से 2018, लोकसभा सांसद डॉ. उदित राज को

जाये, सामान्यतः सांसद ही कार्यक्रमों में किसी न किसी को सम्मानित करते रहते हैं। मैं फेम इंडिया और एशिया

जहाँ पर पत्र की आवश्यकता होती है वो भी साथ के साथ लिखकर भिजवाता हूँ और यह भी कह देता हूँ कि जब तक



मेरा पीछा नही छोड़ना। यदि कोई व्यक्ति आता है और लगता है कि उसका काम कानूनन रूप से ठीक नही है या कार्य संभव नही है तो तुरंत ही मना कर देता हूँ, यह बिल्कुल नही करता हूँ कि यदि काम न भी होने लायक हो तो भी उसे चक्कर लगाने को कहूँ। मैं न केवल अपने ऑफिस में मिलता हूँ बल्कि क्षेत्र में जाकर भी जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिलता हूँ । क्षेत्र में जनता दरबार के दौरान मैं अपने साथ सम्बंधित सभी अधिकारियों को भी लेकर चलता हूँ जिससे जनता की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जा सके। मैं एक बार फिर से उपस्थित सभी मंत्रियों एवं सांसदों का धन्यवाद करता हूँ और इस समारोह का आयोजन करने वाले फेम इंडिया और एशिया पोस्ट को, जिन्होंने इस अनूठी पहल के माध्यम से अच्छे कार्य करने वाले सांसदों को सम्मानित करने का सोंचा।

डॉ. उदित राज के सम्मान समारोह में उनका हौंसला बढ़ाने के लिए क्षेत्रवासी भी शामिल हुए और उनके निवास स्थान पर जाकर भी लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक नील दमन खत्री, पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी विजय राज, वरुण सैनी, हरिदास पाण्डेय, विनोद शर्मा, संजय राज, वैशाली पोद्दार, रजनीश त्यागी इत्यादि सैकड़ों की संख्या में शामिल

कार्यक्रम में श्रेष्ठ सांसद के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहे डॉ. उदित राज को यह अवार्ड जनता के साथ सरोकार रखने के मामले में मिला। डॉ. उदित राज ने यह अवार्ड केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय राज्यमंत्री हरि भाई चौधरी और केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा प्राप्त किया। डॉ. उदित राज ने सम्बोधित करते हुए कहा कि ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते है कि किसी सांसद को सम्मानित किया

आज विज्ञान भवन में आयोजित पोस्ट को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की पहल की। जब सर्वे किया गया उसके काफी दिनों बाद पता चला कि किसी सर्वे एजेंसी ने मुझे जनता से सरोकार के मामले में पूरे देश के सभी सांसदों में प्रथम स्थान दिया है। जनता से सरोकार रखने के मामले में मैं खुद महसूस करता हूँ कि जितना मैं जनता को समय देता हूँ शायद ही कोई और देता होगा। मैं हफ्ते के 5 दिन जनता से मिलता हूँ और उनके काम को उन्ही के सामने करता हूँ। जहाँ आवश्यकता होती है वहां तुरंत फोन करता हूँ और



\*\*\*



दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक, Dalit-OBC- Minority= DOM की स्थापना इसलिए की गयी है कि समय की मांग है कि छोटे-बड़े सभी संगठनों से मिलकर एक परिसंघ बने । परिसंघ संगठनों के संगठन को कहते हैं। जब खतरा दरवाजे पर दस्तक देने लगे तब नए संगठन को तुरंत खड़ा करके समस्या का निवारण नहीं किया जा सकता चूँकि इस प्रक्रिया में समय लगता है। डीओएम परिसंघ का निर्माण इसलिए भी जरुरी है कि इन वर्गो में परिपक्वता नहीं आयी है और एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। इन वर्गो में कुछ जागृति और शिक्षा बढ़ी है लेकिन उसी के साथ मान-सम्मान की चाहत और अहंकार भी पैदा हुआ है और इसीलिए लाखों छोटे-बड़े संगठन बन गए हैं। हमारी शक्ति के बंटवारे की वजह से जातिवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक और मनुवादी ताकतें मजबूत हुई हैं और जो भी संवैधानिक अधिकार अब तक मिले थे उनका खात्मा कर रही हैं।

दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक की भागीदारी अगर उद्योग, बाजार, उच्च न्यायपालिका एवं नौकरशाही, मीडिया, जमीन, निजी शिक्षा आदि क्षेत्रों में देखा जाए तो नहीं के बराबर है। सरकारी क्षेत्र में शिक्षा एवं नौकरी में मंडल कमीशन की सिफारिशों की वजह से पिछड़े एवं अल्पसंख्यक का आरक्षण के जरिए भागीदारी है और अनुसूचित जाति/जनजाति की राजनीति में भी प्रतिनिधित्व मिला है। 1980 के दशक में कुछ राज्यों में जब पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हुए तो उनकी जाति बिरादरी के अधिकारी नहीं मिलते थे कि वे अपने निजी सचिव या कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर सकें लेकिन जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा की और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने दिसम्बर 1992 में लागू करने की सिफारिश का फैसला दे दिया। उसके बाद ही यदा–कदा यादव, कुर्मी, गुर्जर, प्रजापति, तेली, नाई, सैनी आदि जातियों के अधिकारी और कर्मचारी दिखने लगे। उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी, मेडिकल संस्थानों में भी पिछड़े वर्ग को अच्छी भागीदारी मिली। इन वर्गों की भागीदारी शुरू ही हुई थी कि शिक्षा का निजीकरण तेजी से हुआ और सैकड़ों विश्वविद्यालय और हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र में खोल दिए गए। सरकारी नौकरी खत्म करने का तरीका ठेकदारी, आउटसोर्सिंग और निजीकरण के माध्यम से किया जाने लगा। पिछड़ा वर्ग तो और भी घाटे में है क्योंकि उसकी पहली पीढ़ी मंडल कमीशन का लाभ लेना शुरू की थी कि उसके पहले नौकरियां ही खत्म कर दी जा रही हैं। गत कई वर्षो से सरकारी खर्च में कटौती के नाम से भर्तियाँ बंद पड़ रही हैं और नौकरियां निजी क्षेत्र में चली गयी हैं। जहाँ मुख्य रूप से महत्वपूर्ण स्थान जात–बिरादरी के हिसाब से ही दिया जाता है।

भारत एक धर्म निरपेक्ष जनतांत्रिक देश है जहाँ पर सबको समान मौलिक अधिकार दिया गया है। देश संविधान से चलना चाहिए न कि किसी जाति एवं धर्म की परंपरा और संस्कृति दूसरे पर लाद कर। खाना और पहनना इत्यादि प्रत्येक नागरिक का निजी मौलिक अधिकार है लेकिन धर्म और पाखंड के नाम पर कुछ लोग अपनी सोच को थोप रहे हैं। सरकार जिसकी होती है तंत्र उसी का होता है। तंत्र का भारी दुरुपयोग जनतांत्रिक आवाज को दबाने में किया जाने लगा है। चौथा स्तम्भ मीडिया जो एक सहारा हुआ करती थी आज वह भी पूंजीपतियों के हाथ में बिक गयी है और थोड़ा बहुत जो अभिव्यक्ति का माध्यम है तो वह केवल सोशल मीडिया है। ऐसी परिस्थिति का होना देश में किसी के लिए भी उचित नहीं है।

किसी भी संगठन को यह कहना या उससे उम्मीद करना संभव नहीं है कि अपना अस्तित्व बड़े संगठन में विलीन कर दे। ऐसे में एक सही रास्ता यही है सभी छोटे–बड़े संगठन का अस्तित्व केवल बना ही न रहे बल्कि वे और मजबूत हों इसके लिए डीओएम एक वरदान साबित होगा। एक संगठन दूसरे संगठन के साथ इसीलिए नहीं जुड़ते कि एक से दूसरे खतरा महसूस करते हैं लेकिन परिसंघ के माध्यम से और शक्ति मिलेगी। डीओएम परिसंघ उपरोक्त समस्याओं और समयान्तराल मांगों पर हजारों लाखों छोटे– बड़े संगठनों को एक जगह पर लाकर खड़ा करने का काम करेगा। सरे संगठन जैसे पहले कार्यरत थे, परिसंघ से जुड़ने के बाद भी वैसा ही नहीं बल्कि और ताकत के साथ अपनी जगह यथावत कार्यरत रहेंगे। डीओएम परिसंघ का संगठनत्मक ढांचा राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और उसके नीचे इकाई के स्तर पर गठित होगा और यह पूर्णतयः गैर राजनैतिक होगा।

# पत्राचार : टी– 22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 Tel:- 011-23354841, 011-23354842, Fax : 011-23354843

M domparisangh@gmail.com, 🖸 @domparisangh 🗊 domparisangh, 🛅 domparisangh

# परिसंघ की वेबसाइट पर ऑनलाइन सदस्य बने

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की वेबसाइट www.aiparisangh.com पर अब ऑनलाइन सदस्यता का प्रावधान कर दिया गया है। वेबसाइट पर जाकर कोई भी सदस्यता शुल्क की ऑनलाइन पेमेंट करके वार्षिक एवं आजीवन सदस्य बन सकता है। इस पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि सभी माध्यमों से पेमेंट की जा सकती है। अब कोशिश रहे कि ज्यादातर ऑनलाइन ही किया जाए, फिर भी यदि सदस्यता फार्म और डोनेशन की रसीदें छपी हुई चाहिए तो राष्ट्रीय कार्यालय में सुमित मो . 9868978306 से सम्पर्क किया जा सकता है।

परिसंघ के पदाधिकारियों से निवेदन है कि प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएं। यदि प्रदेश या जिले स्तर के पदाधिकारी अन्य लोगों को सदस्य बना रहे हैं तो वे फार्म में रेफर्ड बाई के कॉलम में अपना नाम अवश्य लिखें, इससे राष्ट्रीय कार्यालय को पता लग सकेगा कि किस पदाधिकारी द्वारा कितना ऑनलाइन सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा वेबसाइट पर परिसंघ का संक्षिप्त परिचय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिचय के साथ–साथ राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों के फोटो के साथ पता एवं मोबाइल नंबर भी दिया गया है, (http://aiparisangh.com/office-bearers/) ताकि जो लोग अलग–अलग प्रदेशों से वेबसाइट देखें उन्हें पता लग सके कि उस प्रदेश के किस पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 'वॉयस ऑफ बुद्धा' भी वेबसाइट पर जाकर पढ़ा जा सकता है।

# हिला दिवस कितना सजग कितना



महिलाओं के लिए राह कहीं भी आसान नहीं। फिर बात चाहे घर संभालने की हो या किसी आफिस में काम करने की, अगर आपके अंदर हिम्मत, जज्बा है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। महिलाएं पहला कदम उठाने से झिझकती हैं वे सोचती रहती है कि उन्हें लगता है कि कोई उनसे आकर कहेगा या पुश करेगा तब वे कोशिश करेगीं लेकिन इंतजार करने की बजाय पहला कदम उठाना और अपना इरादा साफ करना ज्यादा जरूरी है। देखा गया है कि महिलाएं अपने को प्रमोट करने में सकुचाती हैं। आज जब पूरे विश्व सहित भारत में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूरे जोरशोर से मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद महिलाओं के प्रति सम्मान उनकी प्रशंसा और उनके प्रति अनुराग व्यक्त करना है।

महिला दिवस पर उन सभी महानायकों और नायिकाओं को विशेष नमन जिन्होंने शोषित पीड़ित गुलाम महिलाओं को सम्मान आज़ादी दिलवाई और उनके लिए गुलामी का मूल कारण

धार्मिक मान्यताओं का खंडन किया। जिसमें तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिराव फूले, पेरियार, कांशीराम साहब, रमाबाई, झलकारी बाई, सावित्रीबाई फूले आदि का नाम उल्लेखनीय है।

महिला दिवस के अवसर पर ग्रेट टीपू सुल्तान को भी याद करें जहां साऊथ के कोने (केरल के त्रावणकोर) में धार्मिक मान्यता के चलते स्तन डकने का अधिकार नहीं था। सबसे पहले यहां केरल की नांगेली ने स्तन ढककर बर्बर कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी, बता दें कि केरल (त्रावणकोर) में सार्वजनिक तौर पर अपने स्तनों को ढककर रखने की इच्छा रखने वाली महिलाओं से मुलक्करम (स्तनकर) वसूला जाता था। गरीब महिला को अपने स्तन ढकने के लिए राजा को कर चुकाना पड़ता था इसी के विरोध में नांगेली ने तय किया कि वह इस आमनीय टैक्स को नहीं देगी। इसके विरोध स्वरूप ही उसने धारदार हथियार से अपने दोनों स्तन काट दिए जिससे नांगेली की मूत्यु हो गई। ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। यह एक तरह से औरत की निचली जाति के होने की कीमत थी। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर जी के हिन्दू कोड बिल की वजह से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आज़ादी व अधिकार तो मिले हैं पर वास्तव में क्या वह इस आजादी को मन मुताबिक जी पा रही हैं तो बात करें सामाजिक क्षेत्र की तो आज भी

महिलाओं की सामाजिक भागीदारी में वह दृढता नहीं दिखती जितनी होनी चाहिए। आज परिवार में लड़कियां, महिलाएं अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले पाती। लड़कियो को कहा जाता है किसके साथ जाना है कौन सा करियर चुनना है व पिता या पति के फैसलों में ही अपनी रजामंदी देने में ही खुशी जाहिर करती हैं। उनके अपने निर्णयों की अहमियत परिवार व समाज में न के बराबर है, उनके निर्णयों से परिवार व समाज के साथ उनके रिश्तों में दरार न पैदा कर दें। इस डर से पीछे ही रखती हैं। आर्थिक क्षेत्र में तो भारत में औरतें काम से बाहर हो रही हैं। देश की कार्यशाक्ति का हिस्सा बनने वाली महिलाओं का प्रतिशत पिछले बारह वर्षो में सीधे दस फीसदी नीचे आ गया है। वर्ल्ड बैंक के आंकडे बता रहे हैं कि 2005 में 15 साल से ज्यादा उम्र की लगभग 36 फीसदी महिलाएं वेतन या मजूदरी के एवज में कहीं न कहीं काम कर रही हैं लेकिन 2017-18 आते-आते ऐसी महिलाओं का हिस्सा 25.9 फीसदी पर आ गया है। जबकि चीन में 60.4 प्रतिशत महिलाएं बाहर निकलकर किसी न किसी कार्यस्थल पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस गिरावट की तेजी जितनी भारत मे दर्ज की गई है। उसकी कहीं और कल्पना भी मुश्किल है। इसकी वजहों से डर जाएं तो हाल का नेशनल सर्वे बताता हैं कि 15 से 19 वर्ष की 78.3 फीसदी लड़कियों को हम घर से बाहर जाने ही नहीं देते जबकि 20 से 24 साल की 30.8 प्रतिशत लड़कियों को ही घर से बाहर जाने की इजाजत मिलती है। और बाहर निकलने में भी प्रायः काम पर जाने के लिए नहीं बाजार. अस्पताल या आसपास दर्शनीय स्थलों के दर्शन तक ही सीमित हैं। वही राजनीतिक क्षेत्र में भी संविधान के १०८वें संशोधन विधेयक के बाद संसद व विधानसभाओं मे 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की बात होती हैं संसद में 547 सोटों में मुश्किल से 60-65 महिला प्रतिनिधि दिखाई पडती हैं। जबकि देश की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है तो जहां बेटी पढ़ाओं बेटी बचाओ के नारे गूंजते हैं तो क्यों नहीं वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज है, तो क्यों नही संसद व विधानसभाओं मे 50 प्रतिशत सीटों पर महिला आरक्षण लागू करते। सबसे ज्यादा उपरोक्त बातों के साथ आज महिला की स्थिति खराब करने का मुख्य कारण कहीं न कहीं बाजारवाद भी हैं। आज बाजारवाद ने रित्रयों को एक उत्पाद की तरह इस्तेमाल किया है जाने-अनजाने में वे बाजार का एक टूल बनकर रह गई हैं। रिन्नयों के वास्तविक मुद्दे आज कहीं न कहीं गुम हो रहे हैं बाजार आज उन्हें डिजाइनर मुद्दे पकड़ा रहा है जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी स्त्री तो क्या उसके ऊपर खडी स्त्री के हालात में भी कोई बदलाव नहीं आने वाला । आज की स्त्री को बाजार और धर्म से मुक्त होकर शक्ति हासिल करनी है। जिस समाज में स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की है वहा स्त्रियों की समस्याओं से

जुडे आंदोलन होते रहने चाहिए। स्त्रियों की बड़ी समस्याओं में सामाजिक सोच से लैंगिक बराबरी का नदारद होना, संपत्ति के अधिकार न मिलना, वेतन की असामनता आदि मुद्दे राजनीति में 50 प्रतिशत सीटों पर महिला आरक्षण आदि मुद्दे हैं। सावित्रीबाई फूले स्त्रियों की इस जरूरत को समझती थी तभी उन्होनें स्त्री शिक्षा के लिए इतना संघर्ष और आंदोलन किया। एक आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री समाज में बहुत कुछ बदलने की ताकत रखती हैं। स्त्री सक्षम होकर यह सब हासिल करती है तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसे अपने आप मिल जायेगी जो पुरुषों को रवाभाविक रूप से मिली हुई है कानूनी रूप से संपत्ति में अधिकार मिलने के बाद भी बहुत कम ही लड़कियों को वास्तविक रूप से संपति में हिस्सा मिलता है। एक और बड़ी समस्या एक ही काम के लिए स्त्रियों को कम वेतन मिलने की भी है, आज पूरी दूनिया में स्त्रियां इसके लिए संघर्ष कर रही हैं। जब स्त्रियों के जीवन से जुड़े असली मुद्दों पर स्त्रियां सड़कों पर आएंगी और लड़ेगी तभी उनके जीवन में वास्तविक बदलाव आयेगा और तभी महिला दिवस को मनाने की सार्थकता सिद्ध हो पायेगी।

> – सविता कदियान पंवार राष्ट्रीय संयोजक परिसंघ महिला प्रकोष्ठ मो. 9873944026

> > \*\*\*

# Dr. Udit Raj awarded the Best Parliamentarian award

New Delhi, 30 March, 2018: Today Dr. Udit Raj Ji, Lok Sabha MP from

Chaudhary, Union Minister of days after completing this and there only. Wherever a State and Shri Arjun Ram Meghwal, Union Minister of the survey agency has

survey, I came to know that

call is required, the call is made and wherever a letter is



Union Minister of State and Shri Arjun Ram Meghwal, Union Minister of State.

North West Delhi was honoured with the award of Best Parliamentarian at a program organized at Vigyan Bhawan. Dr. Udit Raj received this award for best performance in public dealing. Dr. Udit Raj Ji received this award from Dr. Harsh Vardhan, Union Minister, Shri Hari Bhai

State.

Dr. Udit Raj while addressing the gathering said that "there are very rare occasions when a Member of Parliament is awarded, generally the Member of Parliaments only honour someone or the other. I thank Fame India and Asia Post for taking such initiative. Many awarded me the first place amongst all the MPs from India in the matter of dealing with the public. While meeting with the public, I myself feel that as much time as I give for the public, hardly anybody else gives to the public. I meet the public 5 days a week and do their work in front of them then required, the letter is written and sent immediately. I even ask people to keep follow-up with me and my staff as well until the work is done. If in some work it seems that work is not legal or is not possible to be done then I refuse to do that immediately. I do not make people go round and round if the work is not

desirable. I meet people not only in my office, but also in the constituency through Janta Darbars. During Janta Darbars I take all the officers of the concerned departments and authorities with me so that public grievances can be resolved as soon as possible. Once again I thank all the Ministers and MPs present here, Fame India and Asia Post the event organizers, who thought of honouring the MPs doing great works.

The people from the constituency of Dr. Udit Raj also participated in the program to keep his pride and spirit high and also welcomed him with flowers at his residence. Former BJP legislator Neel Daman Khatri former corporation councilor Vijay Raj, Varun Saini, Haridas Pandey, Vinod Sharma, Sanjay Raj, Vaishali Poddar, Rajneesh Tyagi amongst others joined the program.

## 6 Voice of Buddha 16 to 31 March, 2018

# Caste systems violate human rights of millions worldwide – new UN expert report

At least 250 million people worldwide still face appalling and dehumanising discrimination based on caste and similar systems of inherited status, warned the United Nations expert on minority issues while presenting finding to the UN Human Rights Council.

"This is a global problem affecting communities in Asia, Africa, Middle East, the Pacific region and in various diaspora communities," said UN Special Rapporteur Rita Izsák-Ndiaye in a news release, stressing that "caste-based discrimination and violence goes against the basic principles of universal human dignity and equality, as it differentiates between 'inferior' and 'superior' categories of individuals which is unacceptable."

Ms. Izsák-Ndiaye warned that discrimination leads to extreme exclusion and dehumanisation of casteaffected communities, who are often among the most disadvantaged populations, experience the worst socioeconomic conditions and are deprived of or severely restricted in the enjoyment of their civil, political, economic, social and cultural rights. The term 'caste' refers to a strict hierarchical social system often based on notions of purity and contamination. The expert report describes how people from 'lower castes' are often limited to certain occupations which are often deemed 'polluting' or menial by others, including manual scavenging,

sweeping and disposal of dead animals.

"Unfortunately, in many cases, attempts to challenge these prohibitions or the unlawful consequences derived from caste systems, which are hereditary by nature, result in violence against casteaffected individuals and retaliation against their communities." the Special Rapporteur said. She emphasised that casteaffected women and girls are often the victims of castebased and sexual violence, trafficking and are especially vulnerable to early and forced marriage, bonded labour and harmful cultural practices. Violence and the threat of violence against them frequently go unreported, allowing a culture of invisibility,

silence and impunity. "The shadow of caste and its stigma follows an individual from birth till death, affecting all aspects of life from education, housing, work, access to justice, and political participation" Ms. Izsák-Ndiaye said. "In many societies discussing these practices is taboo; we need, not just legal and political responses but ways to change the mindset of individuals and the collective conscience of local communities." There have however been some positive developments, such as constitutional guarantees, legislation and dedicated institutions to monitor and overcome caste-based discrimination. "I hope that my report will be used as an

advocacy tool in supporting the

efforts of caste-affected communities and others who are tirelessly working to relegate caste discrimination to history," the Special Rapporteur concluded. Independent experts or special rapporteurs are appointed by the Genevabased UN Human Rights Council to examine and report back on a country situation or a specific human rights theme. The positions are honorary and the experts are neither UN staff, nor they are paid for their work.

https://news.un.org/ en/story/2016/03/525012caste-systems-violate-humanrights-millions-worldwiden e w - u n - e x p e r t report#.VvGgOOIMApC.faceb ook \*\*\*



Dalit-Backward-Minority Confederation (DOM Parisangh) is the need of hour to integrate various organizations. Confederation means organization of organizations. When danger hovers, quick action is warranted and the current situation is such and hence we can't wait to mobilize organizations and individuals from scratch .As awareness and education have grown among these communities, myriad organizations have engulfed the majority of individuals. This goes against efforts to unify these communities. It would be extremely tedious and time-consuming to mobilize people individually and to go from organisation to organisation. DOM has not come into being to break or weaken these organizations, but rather to connect them together to make them stronger and build a mass movement for their dignity, reservation, rights, protection and equality etc.

The share and participation of Dalits, Backwards & Minorities in various fields like media, industry, market, higher judiciary ,bureaucracy, land, private education is negligible. The backward caste's participation in the Government jobs was secured through recommendation of the Mandal Commission. In 2006, by 93rd Constitutional Amendment, they got reservation in higher education. It is to be noted that about 70% Muslims are also counted in OBC for reservation purposes. In 1980s or before OBCs became Chief Ministers or occupied important positions, one could hardly find OBC officers to be appointed to their staff and for key positions. It was PM V P Singh who announced the implementation of Mandal Commission. Due to stiff resistance, the matter went to the Supreme Court which finally delivered the judgment in the favor of the GoI. Thereafter OBC castes like Yadav, Kurmi, Gujjar, Saifi, Julaha, Prajapati, Teli, Saini & Naai etc started becoming officers and employees in the Govt. Protections for these communities in the form of reservation in higher education and government jobs are becoming meaningless as there has been a surge in privatization, outsourcing and contract system etc. The SC/ST could get the benefits of reservation for two or three generations but OBCs could barely get that even for one generation. Now hundreds of universities and thousands of private engineering colleges and institutions have come up rendering reservation in education meaningless. Under the garb of curtailing government expenses, government jobs are being dished out to the private sector and there is hardly any drive to fill up the vacant posts.

India is a secular and democratic country whose constitution guarantees certain inalienable fundamental rights to all individuals. The governance has to be in conformity with constitution and not on the basis of caste prejudices or favoritism. Humans are born free but superstition and regressive ideas fetter them. No one has the right to impose his opinion and life style on others. The State should not suppress the voices of weaker and minorities. Media used to be the last resort for the oppressed, but unfortunately it has come to the control of capitalist. Now social media is the only hope to air their opinions and grievances and protect their rights.

DOM will not encroach upon the interests of its affiliates, rather it will empower them. Thus, smaller or bigger organizations should not worry in becoming a part of us. We are here to connect all these organizations to build a powerful organization to protect the rights and dignity of Dalits, OBC and Minority.

Corres : T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi -110001 Tel:- 011-23354841, 011-23354842, Fax : 011-23354843

M domparisangh@gmail.com, 2 @domparisangh domparisangh, 🚵 domparisangh

# MP Udit Raj to visit Manipur; orgs. ready list of demands

Kakching, Feb. 4 (EMN): The national chairman of the All India Confederation of SC/ST Organisations will be visiting Manipur to address a public gathering and a seminar in Kakching of Manipur on Feb. 24.

Dr. Udit Raj is also a Member of Parliament from Delhi north west constituency. After taking voluntary retirement from the Indian Revenue Service, Dr. Raj has been fighting for the past 20 years for the welfare of Secheduled Caste / Scheduled Tribe communities, a press release from the All India Confederation of SC/ST Organisations (Manipur) stated on Sun.

"We, the organizers would like to appeal all community leaders, village heads, student bodies, church leaders, clubs to kindly support the upcoming gathering and awareness program with a large number of participants so that Dr. Udit Raj will able to bring the following demands to the Government of India," the press release stated. The demands are that the parliament enact the Reservation Bill; provide for reservation in private companies; provide for reservation for promotion of SC/ST; hike scholarship; fill up backlog of SC / ST quotas; provide for reservation in higher judiciary; and make single caste certificate of one state valid in other states.

"The organizers will also submit a memorandum to the prime minister through Dr. Udit Raj on the issues and concerns of welfare and any infrastructure needs of the SC / ST communities in the state," the press relese stated.

The press release informed that the organisers of the event are the All India Confederation of SC / ST Organizations (Manipur); All India Christian Council (Manipur); Consumers Welfare Union; Centre for Women and Girls (Tengnoupal); Kakching Bazar Business Welfare Association; Kakching Library & Information Centre; representatives of Lois (Kakching); Resource Centre for Social Welfare & Community Development (Chandel); Sahitya Seva Samiti of Manipur (Kakching); Senior Citizens Forum (Kakching); Women of Manipur Empowerment Network (Imphal west).

http://www.easternmirrorna galand.com/mp-udit-raj-tovisit-manipur-orgs-ready-listof-demands/

# A man, an ideology : The importance of EV Ramasamy Periyar

The universal condemnation of BJP leader H Raja's remarks underlines the enduring iconic status of E V Ramasamy Periyar in Tamil Nadu and beyond. Why is an iconoclast, rationalist social reformer who died 45 years ago is still so dear to so many people?

To those looking for "Hindu" symbols of religiosity, Tamil Nadu would appear to be deeply religious: people wear vibhuti or kumkum on foreheads, deities and temples are everywhere from street corners to government offices, vehicles are decorated with colourful gods and offerings, even the lives of the minority communities are splattered with the colours of religious ritual. Why is an iconoclast, rationalist social reformer who died 45 years ago so dear to the people of such a state?

#### E V Ramasamy 'Periyar'

Born in 1879, Periyar is remembered for the Self Respect Movement to redeem the identity and self-respect of the Tamils. He envisaged a Dravida homeland of Dravida Nadu, and launched a political party, Dravidar Kazhagam (DK). Periyar started his political career as a Congress worker in his hometown Erode. He quarrelled with Gandhi over the question of separate dining for Brahmin and non-Brahmin students at Gurukkulam, a Congress-sponsored school owned by nationalist leader V V S Iyer in Cheranmahadevi near Tirunelveli. At the request of parents, Iyer had provided separate dining for Brahmin students, which Periyar opposed. Gandhi proposed a compromise, arguing that while it may not be a sin for a person not to dine with another, he would rather respect their scruples. After failing to bend the Congress to his view, Periyar resigned from the party in 1925, and associated himself with the Justice Party and the Self Respect Movement, which opposed the dominance of Brahmins in social life, especially the bureaucracy. The Justice Party had a decade earlier advocated reservation for non-Brahmins in the bureaucracy and, after coming to power in the Madras Presidency, issued an order to implement it.

Perivar's fame spread beyond the Tamil region during the Vaikom Satyagraha of 1924, a mass movement to demand that lower caste persons be aiven the right to use a public path in front of the famous Vaikom temple. Periyar took part in the agitation with his wife, and was arrested twice. He would later be referred as Vaikom Veerar (Hero of Vaikom). During the 1920s and 30s, Periyar combined social and political reform, and challenged the conservatism of the Congress and the mainstream national movement in the Tamil region. He reconstructed the Tamil identity as an egalitarian ideal that was originally unpolluted by the caste system, and counterposed it against the Indian identity championed by the Congress. He argued that caste was imported to the Tamil region by Aryan Brahmins, who spoke Sanskrit and came from Northern India. In the 1930s, when the Congress ministry imposed Hindi, he drew a parallel with the Aryanisation process, and claimed it as an attack on Tamil identity and self-respect. Under him, the Dravidian Movement became a struggle against caste and an assertion of Tamil national identity.

In the 1940s, Periyar launched Dravidar Kazhagam, which espoused an independent Dravida Nadu comprising Tamil, Malayalam, Telugu, and Kannada speakers. The Dravidian linguistic family was the foundation on which he based his idea of a Dravida national identity. These ideas had a seminal influence on the shaping of the political identity and culture of the Tamil speaking areas of Madras Presidency, and continue to resonate in present-day Tamil Nadu.

Periyar died in 1973 at the age of 94. His

## work and his legacy.

For an average Tamil, Periyar today is an ideology. He stands for a politics that foregrounded social equality, self-respect, and linguistic pride. As a social reformer, he focused on social, cultural and gender inequalities, and his reform agenda questioned matters of faith, gender and tradition. He asked people to be rational in their life choices. He argued that women needed to be independent, not mere child-bearers, and insisted that they be allowed a equal share in employment. The Self Respect Movement he led promoted weddings without rituals, and sanctioned property as well as divorce rights for women. He appealed to people to give up the caste suffix in their names, and not to mention caste. He instituted inter-dining with food cooked by Dalits in public conferences in the 1930s. Over the years, Periyar has transcended the political divide as well as the faultlines of religion and caste, and come to be revered as Thanthai Periyar, the father figure of modern Tamil Nadu.

C N Annadurai, who was Periyar's dearest pupil at one time, broke with him, split the DK, and formed the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) in 1949. Anna, a man of the masses, recognised the value of electoral democracy and accepted that Tamil separatism had no future. He used the new medium of cinema to spread the ideals of the Dravidian Movement and established himself as the successor to Perivar. In 1967, the DMK won office in Tamil Nadu. Since then, Tamil Nadu has been ruled by parties who trace their origin to the Dravidian Movement and swear by its ideals. They may have diluted Periyar's ideals in office, but both the DMK and the AIADMK proudly claim to be inheritors of Periyar's social and political vision.

If Periyar was an iconoclast, Anna was a moderate reformist. On the pedestal of one of Periyar's many statues in Tamil Nadu is the inscription: "There is no god, and no god at all. He who created god was a fool, he who propagates god is a scoundrel and he who worships god is a barbarian." His successors moderated this radicalism - R Kannan recounts in Anna: The Life and Times of C N Annadurai, that Anna, who under the influence of his atheist mentor once broke Ganesha figures, would later say, "I would neither break the Ganesha idol nor the coconut (the offering)." During the Emergency, a petition against "offensive" inscriptions on the pedestals of Periyar's statues came before the Madras High Court. The court dismissed the petition, saying Periyar believed in what he said, and there was nothing wrong in having his words as inscriptions on his statues. In a judgment passed in another case on June 2012, retired Madras High Court Justice K Chandru said: "The installation of the Periyar statue in the school premises will not automatically covert the children into an atheist outlook... Ultimately the understanding of the philosophy of such a personality will only help them from having scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform as enshrined under Article 51-A(h) of the Constitution."

#### Fallout of the attack on Periyar The universal

\*\*\*

condemnation of BJP leader H Raja's social media remarks he has since removed the post and apologised - underlines the iconic status Periyar enjoys in Tamil Nadu. DK now has limited political influence in Tamil Nadu, but Periyar has grown beyond the DK and even Tamil Nadu. While caste discrimination continues to be prevalent in the state, every political party pays at least lip service to Periyar's ideals of social and political justice. In a way, Raja was right to compare Lenin and Periyar -Perivar is to the Dravidian Movement as Lenin is to Communism. Raja's rejection of Perivar was construed as a rejection of his ideals. The BJP, which is trying to wear down the image of a Hindi-Hindutva outfit in Tamil Nadu, could find it difficult to live down Raja's comments. Periyar is seen as an icon of OBC political assertion. Any attempt to deride him will be seen as an attempt to undermine the gains made by OBCs even beyond Tamil Nadu.

http://indianexpress. com/article/explained/a-manan-ideology-the-importanceof-ev-ramasamy-periyarstatue-vandalised-5090002/

# Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of "Justice Publication" at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you may not receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution : Five Year : Rs 600/-One Year : Rs. 150/-

# VOICE OF BUDDDHA Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

• Year : 21

Issue 9

Bi-lingual

Total Pages 8 16 to 31 March , 2018

# Supreme Court verdict on SC/ST Act

• Fortnightly

The Supreme Court has delivered a historical judgment altering the basic structure of Prevention of Atrocities Act, 1989. It says that the FIR cannot be registered till enquiry is done. In case of employees, the appointing authority has to give in writing mentioning the reason for the arrest. In case of public in general the SSP has to give in writing the permission to arrest. The magistrate can extend the arrest only if the written permission is secured. So far this law was in the special category but by this judgment it has become like any other act.

This judgment of Supreme Court is not only unfortunate but is also a fraught with caste prejudices. No law should be misused but it should also not happen that it is diluted and become blunt . I The appointing authority will hardly give in writing the permission to arrest his junior citing the reasons. If the appointing authority happens to be of the same caste or if concerned employees enjoy good rapport with him, he may not give permission. The concerned employee could resort to other methods like bribing or else wise. Political interference be also bought on appointing authority or the SSP not to give in writing for arresting the accused.

Is it that only The Prevention of Atrocities Act, 1989 being misused or other acts and laws are also being misused? In case of Anti Dowry Law, the law has been much more misused. Some time back it appeared in newspaper that about 64,000 males committed suicide due to its misuse. This law was slapped indiscriminately even if the cause was not of dowry but else wise. There have been cases where implicated relatives had no connection with the affairs of family and yet they were arrested and in some cases relative residing out of India were also victimized. Out of 361 dowry cases, 293 were slapped wrongly in the year 2015 (quote of Smt. Maneka Gandhi, Hon'ble Minister, Ministry of Women and Child Development). Ever since the section 376 of the Indian Penal Code has been further strengthened, people are afraid of meeting with female alone in a room or any other place. A former Union Minister told that he is afraid of meeting women alone. These days' people have started avoiding meeting with females whose background is not known. There is no doubt that women are subject to extreme exploitation and there should not be any mercy on perpetrators. The misuse of Sexual Harassment Law

destroys a person in no time if it is falsely done. Such incidents become viral like wild fire and the person involved is immediately condemned by the society and legal action is a natural follow up, hence suffering a double jeopardy. After commencing this law females are being avoided in private sector jobs and in other matters as well and resultantly it is the loss of economic independence and has a bearings on education also. Job prospect encourages a person for education.

According to National Crime Bureau Report, the atrocities on SCs and STs from



2007 to 2017 have increased by 66%. In this period daily 6 Dalit women were raped and other atrocities to SC/ST recur every 15 minutes. In the matter of Dalit Atrocities, Madhya Pradesh is ahead of other states. The conviction rate in the matter of atrocities varies from 2% to 6% depending on the state and officers who are involved in the execution. After this judgment the Prevention of Atrocities Act, 1989 will get further diluted. The Constituent Assembly entrusted the Parliament to make alone laws and the judiciary to interpret them. Currently, judiciary is making more laws than parliament. The argument of the Supreme Court to deliver this judgment is based on conviction in lesser cases . But the Supreme Court could have looked the other way round that less conviction means to strengthen the act more. This is barely subjective and depends upon how one looks at the things. A prejudiced so called upper caste will see the things differently. Judges or authorities coming from caste prejudices , can't be objective and they are also made of flesh and blood .

This is going to have political implication. Coincidently in a row to successive anti-reservation incidents happened, one in case of filling up of the vacancies in teaching and other one is Supreme Court judgments with regard to Atrocities Act. Judiciary is independent and what the government can do is to argue in best possible manner. The UGC issued a circular that for the purpose of reservation, now onwards not the whole institute be it university or college be considered a unit for application of reservation



rather each department will be considered to fill up the vacancy. Under this policy, the reservation can be halfed or it can get eroded all together, eg., a department advertises two or three vacancies at one point of time then in that case no SC/ST or OBC will get the seat. In the matter of Prevention of Atrocities Act 1989, situation has become quite alarming. Even then the government does not have any role yet there is a perception among SC/STs that the government or party is not doing enough. However, the government is equally worried and the matter has been referred to legal department for a structured opinion. There is a popular demand that the government must go for revision in both the matters. I for the one feel that the government must go for revision in the Supreme Court in both the matters.

\*\*\*



Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi. Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar